राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 21 अक्तूबर, 2009/29 आश्विन, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 20 अक्तूबर, 2009

संख्या 5–11/2008–ई.एल.एन.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या 5–24/86–ई.एल.एन., तारीख 8–10–2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध–''क'' का संशोधन.––(1) हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध–''क'' में :–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''**(i) नियमित अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान**.––3120–100–3220–110–3660–120–4260–140–4400–150–5000–160–5160 रुपए।

(प्रारम्भिक आरम्भ 3220 / –रुपए के साथ)।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.––4680 / –रुपए (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर) प्रतिमास।''

(ख) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतूल्य।

(ii) अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में कम से कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्प्यूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो।

वांछनीय अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।**"**

(ग) स्तम्भ संख्या 8 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–
"आयु.––लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.––जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(i) से (iii) में यथा विहित है।**"**

(घ) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

"(i) यथास्थिति, नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर यासंविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।**"**

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।''

(ड.) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"वर्ग–**IV** कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतूल्य हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल भी हो।**"**

परन्तु यदि मैट्रिक या मैट्रिक के अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी रत्न की अर्हता वाला वर्ग–IV का कोई कर्मचारी लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हो जाता है तो उसे प्रोन्नत कर दिया जाएगा परन्तु उसे तीन वर्ष के भीतर 10+2 स्तर की अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि वह 31–12–2011 तक 10+2 की अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे लिपिक से वर्ग–IV के पद पर पदावनत (प्रत्यावृत) कर दिया जाएगा;

परन्तु लिपिक के रूप में प्रोन्नति समस्त वर्ग–IV के कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा उतीर्ण करनी होगी जो कि सम्बद्ध विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी विहित अवधि के भीतर टंकण परीक्षा को उतीर्ण करने में असफल रहते हैं तो उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी बढ़ाई गई अवधि में भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं तो उन्हें लिपिक से वर्ग–IV के पद पर पदावनत (प्रत्यावृत) कर दिया जाएगा।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए वर्ग–IV कर्मचारियों की, उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी; परन्तु यह कि:–

उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है और जिसे डिमोवलाईजड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों

के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि ऐसे पद पर तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी;

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–I.––उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण–II.––उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलौना और सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गोसाईं, कठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोगगढ़ और खेलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़,

कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथेग, सिंल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का टिवाड़ा पटवार वृत।

(च) स्तम्भ संख्या 15–क सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः–

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन निर्वाचन विभाग में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 4680/–रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100/–रुपए की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्ते.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4680/–रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 100/–रुपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसेकि एफ0आर0–एस0आर0, अवकाश नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।''

आदेश से,
अनिल खाची,
सचिव (निर्वाचन)।

————————

उपाबन्ध–''ख''

लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी... ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इनके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और **'प्रथम पक्षकार'** ने कनिष्ठ **लिपिक** के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप में.....से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्निष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार

पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् .....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम .....रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त **लिपिक** एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से, स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त लिपिक, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को एफ0आर0–एस0आर0, अवकाश नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियमों इत्यादि के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1 .....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति मेंः–

1 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2 .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

————————

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-11/2008-ELN, dated 20th October, 2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMEN

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 20th October, 2009

No. 5-11/2008-ELN.—In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in Consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide Notification No.5-24/86-ELN, dated 8-10-2007, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-"A"* .—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007:—

(a) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"(i) Pay scales for regular incumbents.—Rs.3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.
(With initial start of Rs. 3220/-).

(ii) Emoluments for contract employees.—Rs. 4680/- per month (equal to initial of the pay scale+dearness pay)."

(b) For the existing provisions against column No. 7, the following shall be substituted, namely:—

"Essential:

(i) Should have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognised Board of School Education/ University.

(ii) Should posses a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 wards per minute in Hindi Typewriting.

(ii) Should have the knowledge of word processing in computer as prescribed by the recruiting authority.

Desirable:

Knowledge of custom, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."

(c) For the existing provisions against column No.8, the following shall be substituted, namely:—

"Age.—Not Applicable.

Educational Qualification.—As prescribed in Column No. 7 (i) to (iii) above. "

(d) For the existing provisions against column No. 10, the following shall be substituted, namely:—

"(i) 90% by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis as the case may be.

(ii) 10 % by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis".

The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

(e) For the existing provisions against column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/University and possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. "

Provided that if a Class-IV official is otherwise eligible to be promoted to the post of Clerk with the qualification Matric or Hindi Rattan with Matric (English) then he will be so promoted but shall have to acquire the qualification of 10+2 standard within 03 years. If the candidate fails to acquire the 10+2 qualification by 31-12-2011, then he shall be reverted from Clerk to the Class-IV post.

Provided that all the Class-IV officials so, promoted as Clerks will qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi typewriting within probation period which will be conducted by the concerned Departments and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidates failed to qualify the typing test within the prescribed period, their probation period will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidates still failed to qualify the typing test in the extended period, they will be reverted from Clerk to Class-IV post.

For the purpose of promotion, a combined seniority of Class-IV employees on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that;

(1) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s)available in such areas;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult Areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trilla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circles of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(f) For the existing provisions against column No.15-A the following shall be substituted, namely:—

"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the, **Clerk** in Department of Election, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB**.— The Chief Electoral Officer, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Clerk** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 4680/-P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + 50% dearness pay). An amount of Rs. 100/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh will be the Appointing and Disciplinary Authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-"B"** appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 4680/-P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + 50% dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 100/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfers of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary (Elections).

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE CLERK AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH CHIEF ELECTORAL OFFICER, HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____between Shri/Smt./Km._____S/o/W/o/D/o Shri._____R/o_____ _____Contract appointee (hereinafter called the **FIRST PARTY**). AND The Governor, Himachal Pradesh through Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh (here-in-after the **SECOND PARTY**).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid **FIRST PARTY** and the **FIRST PARTY** has agreed to serve as a **Clerk** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Clerk** for a period of one years commencing on _____day of_____and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs._____per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity Leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Clerk** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official, at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. will not be applicable for contract appointees.

In witness the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._____
_____
_____
(Name and full address)

2._____
_____
_____
(Name and full address)

Signature of the FIRST PARTY

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._____
_____
_____
(Name and full address)

2._____
_____
_____
(Name and full address)

Signature of the SECOND PARTY

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMEN

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th October, 2009

No. TSB-B(1)-6/97-loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Smt. Kamla Panwar, Assistant Tourism Development Officer working in the office of Distt. Tourism Development Officer, Shimla shall retire from Government service on 31-12-2009 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

By Order,
MANISHA NANDA,
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित